

## संविदा पर नियुक्ति हेतु सूचना

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार (State Environment Impact Assessment Authority) कार्यालय के संचालन हेतु निर्माकित पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

समाचार पत्र में सूचना प्रकाशन के 21 दिनों के अन्दर स्पीड पोस्ट/निर्बोधित डाक से ही बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वट, बेल्ट्रॉन भवन, शास्त्रीनगर, पटना-800023 में आवेदन प्राप्त किये जायेंगे।

क्र. सं.	पदनाम/ संख्या	शैक्षणिक योग्यता	अधिकतम उम्र ( वर्ष )	मानदेय
01	सिविल/पर्यावरण अभियंता संख्या-01	किसी मान्यता प्राप्त तकनीक संस्थान से सिविल इंजिनियरिंग में 04 वर्षीय डिग्रीधारी स्नातक	35	रु0 25000/-प्रतिमाह मानदेय अनुबंध के नवीकरण होने की स्थिति में 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान।
02	तकनीक पदाधिकारी संख्या-01	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/मानिक विश्वविद्यालय (Deemed University) से पर्यावरणिक विज्ञान में स्नातक। स्नातकोत्तर की प्राथमिकता दी जायगी।	35	रु0 20000/-प्रतिमाह मानदेय अनुबंध के नवीकरण होने की स्थिति में 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान।
03	लिपिक संख्या-02	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक	35	रु0 15000/-प्रतिमाह मानदेय अनुबंध के नवीकरण होने की स्थिति में 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान।
04	लेखा लिपिक संख्या-01	स्नातक (लेखा कार्य में 05 वर्ष का अनुभव) बिहार सरकार अथवा किसी लोक उपक्रम से सेवानिवृत्त लेखा लिपिक	35 65	रु0 12000/- प्रतिमाह मानदेय अनुबंध के नवीकरण होने की स्थिति में 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान।
05	आशुलिपिक-सह - कम्प्यूटर ऑपरेटर संख्या-01	न्यूनतम इंटर उत्तीर्ण हिन्दी/अंग्रेजी आशुलेखन का पूर्ण ज्ञान (80 WPM) तथा टंकण का ज्ञान (30 WPM) कम्प्यूटर ऑपरेशन का ज्ञान अनिवार्य	35	रु0 12000/-प्रतिमाह मानदेय अनुबंध के नवीकरण होने की स्थिति में 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान।
06	डाटा इंटी ऑपरेटर संख्या-01	न्यूनतम इंटर उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम्प्यूटर ऑपरेटर	35	रु0 10000/-प्रतिमाह मानदेय अनुबंध के नवीकरण होने की स्थिति में 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान
07	कार्यालय परिचारी संख्या-02	न्यूनतम मैट्रिक उत्तीर्ण	35	रु0 8000/-प्रतिमाह मानदेय अनुबंध के नवीकरण होने की स्थिति में 10 प्रतिशत मानदेय में वृद्धि का प्रावधान।

सेवा की शर्तें:-

1. चयन के पश्चात प्रारंभ में 12 (बारह) महीनों के लिए संविदा के आधार पर नियोजन किया जायेगा।
2. संतोषप्रद सेवा की स्थिति में अनुबंध को अगले वित्तीय वर्ष के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। असंतोषप्रद कार्य करने की स्थिति में एक माह की नोटिश/मानदेय देकर सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
3. निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा। परंतु क्षेत्रभ्रमण पर जाने पर वास्तविक यात्रा व्यय एवं अनुमान्य आवासन व्यय का भुगतान किया जायेगा। इस संबंध में SEIAA का निर्णय अंतिम होगा।
4. यह नियोजन पूर्णतः अस्थाई होगा तथा भविष्य के लिए नियमित नियुक्त का आधार नहीं बनेगा।

10.3.15  
सचिव,

राज्य विशेषज्ञ आकलन समिति (SEAC), बिहार, पटना।